संख्या-10/4/1/2002/का-2/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 03 सितम्बर 2014

विषय:-विभाग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में सामान्य श्रेणी के स्थान पर "अनारक्षित" शब्द का प्रयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि विभाग में रिक्त विभिन्न प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 'प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में विभिन्न श्रेणी हेतु आरक्षित पदों के लिये अनुसूचित जाति/ जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग आदि, इंगित किया जाता है। इसी प्रकार अनारक्षित रिक्त पदों को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत इंगित किया जाता है।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु भविष्य में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में अनारक्षित रिक्त पदों को इंगित करने हेतु सामान्य श्रेणी के स्थान पर "अनारक्षित" शब्द का प्रयोग किया जाये, जैसा कि सीधी भर्ती में आरक्षण लागू किये जाने के रोस्टर विषयक अधिसूचना संख्या-4/1/2001/कार्मिक-2 दिनांक 25 जून, 2002 में उल्लिखित किया गया है।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://sirsaganj.up.nic.in

संख्या-10/4/1/2002/का-2/2014तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी।
2 निजी सचिव, मा0मंत्रिगण को मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
6 रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in